चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
बनाम
गोवा फाउंडेशन और ओआरएस।
2020 की सिविल अपील संख्या 839 आदि)
30 जनवरी, 2020
[एस ए. बोबडे, सीजेआई, बी. आर. गवई और सूर्यकांत, जे.जे.]

खान और खनिज:
गोवा फाउंडेशन ।। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टों के दूसरे नवीनीकरण को रद्द करते हुए, खनन पट्टाधारकों (जिन्हें दूसरा नवीनीकरण दिया गया था) को 15.3.2018 तक अपने मामलों का प्रबंधन करने का समय दिया और 15.3.2018 से सभी खनन कार्यों को रोकने का निर्देश दिया। 16.3.2018 - राज्य ने खनन पट्टाधारकों को 15.3.2018 तक पहले से खनन किए गए खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान करने और उसी के परिवहन की अनुमति देने का निर्णय लिया - एक रिट याचिका में राज्य उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अंतरिम आदेश द्वारा सभी खनिजों के परिवहन को निलंबित कर दिया गया और अंतिम आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया। राज्य का निर्णय - खनन पट्टाधारकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील -निर्णय: गोवा फाउंडेशन ।। मामले में और उसी बेंच द्वारा दो और आदेशों के आधार पर (15.3.2018 के पहले या उसके बाद जेटियों पर लेटी हुई रॉयल्टी दिए गए खनिजों की परिवहन की अनुमति देने की) और खनिज संधान नियम 2016 के नियम 12(1)(gg) के अनुसार विधायिका नीति के संदर्भ में, जिसमें रॉयल्टी दी गई खनिजों को हटाने के लिए छः महीनों की अवधि दी गई है, रॉयल्टी दी गई खनिजों का परिवहन किया जाना चाहिए - खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर अन्य) कंसेशन नियम 2016 - नियम 12(1)(gg)।"

"याचनाओं को मंजूरी देते हुए, अदालत ने यह निर्णय दिया:

> *गोवा फाउंडेशन ।। मामले के पैराग्राफ 154.6 में दी गई दिशा दोहरी है। पहली बात, खनन लीजहोल्डर्स को उनके कामों का प्रबंधन करने और 15.3.2018 तक अपने खनन ऑपरेशन जारी रखने का समय दिया गया है। दूसरा एक नकारात्मक दिशा है। उन्हें 16.3.2018 से प्रभावी होकर सभी खनन ऑपरेशन बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है, जब तक नए खनन लीज (नए पुनर्नवीकरण या अन्य पुनर्नवीकरण नहीं) प्रदान किए जाते हैं और नई पर्यावरण स्वीकृतियाँ प्रदान की जाती हैं। [पैरा 24][543-F-G]"

सादा और शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत का आवेदन करते हुए, इस दिशा से सभी खनन गतिविधियों को 16.3.2018 से बंद कर दिया जाता है। हालांकि, आदेश की तारीख, जिसका मतलब 7.2.2018 है, से लेकर 15.3.2018 तक, प्रविद्यमान लेसी को खनन गतिविधियों को जारी रखने और अपने कामों का प्रबंधन करने की अनुमति थी। [पैरा 25][543-H]

> खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016के नियम 12(1) के उपनियम (gg) का परीक्षण करने से प्रकट होता है कि प्रथा या जल्दी समाप्ति पर लीज की अवधि समाप्त होने पर, लेसी को छ: महीने की अवधि प्रदान की जाती है, ताकि लेसी स्वयं के लाभ के लिए अपने द्वारा खनिज खदान के आवश्यक सारे या कोई भी खनिज, इंजन, मशीनरी, प्लांट, भवन, संरचनाएँ, ट्रैमवे, रेलवे और अन्य काम, स्थापनाएं और सुविधाएं हटाने की अनुमति हो। यदि लीजी की डिफॉल्ट के लिए लीज समाप्त हो जाती है, तो इस अंश में निर्वाचित छ: महीने

से कम और छः महीने से अधिक कुल माह का समय नहीं होने के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि, इसका पालन करने पर लीजी को कानून और नियमों के तहत देने वाले किराए, दरें और रॉयल्टी भुगतान करना होता है। [पैरा 31][546-E-G]

अगर इस *गोवा फाउंडेशन-II मामले में इस सीमा या खनन की पूर्णरूप से प्रतिषेधन की नीति बनाने का इरादा रखता तो इसके रोकने में कुछ भी नहीं था। हालांकि, उपयोग किए गए शब्द थे कि लीजी को अपने कामों का प्रबंधन करने की अनुमति है और 15.3.2018 तक खनन जारी रखने की अनुमति है। 15.3.2018 के बाद उस आदेश में वाकई प्रतिषेधन केवल खनन ऑपरेशनों के लिए था। इसके अलावा, *गोवा फाउंडेशन-II मामले को फैसला देने वाले उसी बेंच ने दो अवसरों पर जेटियों से खनिज परिवहन की अनुमति दी। यदि तारीख से पूर्व खना गया है, तो किसी भी उद्घाटन या रेलवे और अन्य काम, उद्घाटन और सुविधाओं को अलग न करने में कोई तर्किक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खनिज के स्वामित्व किसी की है जिसने खनिज को उठाया है। जिन खनिजों की परिवहन की अनुमति दी गई है, वे उनकी रॉयल्टी देने की शर्त पर है। कोई कारण नहीं है कि मालिकों को अपने खुद के खनिज का परिवहन नहीं करने दिया जाए। [पैरा 32][547-B-D]

"मामले के सम्ग्र दृष्टिकोण को लेते हुए, यानी *गोवा फाउंडेशन-II मामले के इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 154.6; समी बेंच द्वारा पारित दिनांक 4.4.2018 और 11.5.2018 के आदेश जो *गोवा फाउंडेशन-II मामले में निर्णय देने वाली वही बेंच ने पारित किए थे, जिसने रॉयल्टी देने के बाद जेटियों पर पड़े खनिज/लोहा के परिवहन की अनुमति दी थी और जो 15.3.2018 के पहले या उसके दिन वहां पड़े थे; और खनिजों के लाभ के लिए छः महीनों की अवधि प्रदान करने वाली विधायिका नीति, उच्च न्यायालय के विभागीय बेंच द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है। [पैरा 32][546-G-H; 547-A]"

गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य। (2014) 6 एससीसी 590 : [2014] 5 एससीआर 302; *गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड और अन्य। (2018) 4 एससीसी 218 : [2018] 2 एससीआर 361 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2014] 5 एससीआर 302	संदर्भित किया गया	पैरा 09
[2018] 2 एससीआर 361	संदर्भित किया गया	पैरा 10

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 839 2020. उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.05.2018 से 2018 की जनहित याचिका डब्ल्यूपी नंबर 3 में बॉम्बे और गोवा में। साथ 2020 की सिविल अपील संख्या 840-842, 843, 844-846, 847, 848, एस.एल.पी. (सिविल) क्रमांक 22035 2019।

विक्रमजीत बनर्जी, आत्मा राम एन.एस. नाड़कर्णी, सहायक सरकारी वकील, गौरब बनर्जी, मुकुल रोहतगी, ध्रुव मेहता, एस. वसीम ए. कादरी, अजीत कुमार सिन्हा, देबल बनर्जी, वरिष्ठ सरकारी वकील, निनाद लौड़, निखिल वाजे, आदित्य प्रताप स्वैन, जयंत मोहन, मिस ईशिता मिश्रा, लुईस फर्नांदेस, यशराज सिंह देवड़ा, मिस सोनल माशंकर, मिस शिवांगी सुद, सुमित गोयल, क्षत्रशल राज, मिस तान्या

चौधरी, आईवी डीकोस्टा (M/s. परेख एंड कंपनी के लिए), राज किशोर चौधरी, मिस्टर आईवो डीकोस्टा, प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, हेमंत पोथुला, प्रताप वेनुगोपाल, अखिल अब्राहम रॉय, आयुषी गौड़, मिस रुचिरा गुप्ता, अनुराग शर्मा, आयुष आनंद, शिशिर देशपांडे, मिस्ट्रेस बी. सुनीता राव, राज बहादुर, मिस्ट्रेस नीलम चंद, मिस्ट्रेस अनिल कटियार, आयुष आनंद, सिद्धार्थ सिन्हा, मिस रुचिरा गुप्ता, अंजुमन त्रिपाठी, अमन वर्मा, प्रतिष्ठित पक्षों के लिए वकील।"

अदालत का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया: एसएलपी (सी) एनओएस। 12449, 12328-12330, डी. नं.(एस).17815,25711-25713, 24831, 24830 ऑफ 2018

- देरी को स्वीकृत किया गया।
- विशेष अपील पत्रिका (नागरिक) D.No.17815 को जमा करने की अनुमति दी गई है।
- अनुमति दी गई है।
- तथ्यात्मक परिदृश्य और विधि के सवाल इसमें समान होने के कारण, सभी यह सभी अपीलें साथ में सुनी और निर्णय दिया जा रहा है।
- वर्तमान कार्यवाही का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा है।
- चूँकि भारत सरकार को गोवा राज्य में लौह अयस्क खनन क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर दोहन के बारे में जानकारी मिली, इसलिए उसने न्यायमूर्ति एम.बी. को नियुक्त किया। इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शाह को दिनांक 22.11.2010.7 की एक अधिसूचना द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत जांच आयोग नियुक्त किया गया।
- न्यायमूर्ति शाह ने गोवा का दौरा किया और विभिन्न प्राधिकरणों के साथ-साथ खनन पट्टाधारकों से जानकारी मांगने और प्राप्त करने के बाद, 15.3.2012 और 25.4.2012 को भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट को एक्शनटेकन रिपोर्ट के साथ 7.9.2012 को संसद में पेश किया गया। . नतीजतन, गोवा सरकार ने 10.9.2012 को एक आदेश पारित कर 11.9.2012 से राज्य में सभी खनन कार्यों को प्रतिबंधित/निलंबित कर दिया। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने भी दिनांक 14.9.2012 के एक आदेश द्वारा गोवा राज्य में 139 खदानों (वास्तव में 137 खदानें - कुछ नकल के कारण 139 का आंकड़ा) को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को स्थगित रखा।
- न्यायमूर्ति शाह द्वारा दी गई रिपोर्टों के बाद, गोवा फाउंडेशन द्वारा इस न्यायालय में डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435/2012 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई। रिट याचिका, जनहित याचिका की प्रकृति में होने के कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, के लिए प्रार्थना की गई भारत संघ और गोवा राज्य को उन खनन पट्टों को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के निर्देश जहां विभिन्न कानूनों का उल्लंघन कर खनन किया गया था। इसी प्रकार, न्यायमूर्ति शाह की रिपोर्टों और गोवा राज्य और भारत संघ द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए कई खनन पट्टाधारकों द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएँ दायर की गईं।
- उन सभी याचिकाओं को डब्ल्यू.पी. के साथ सुनवाई के लिए इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। (सी) गोवा फाउंडेशन द्वारा दायर 2012 की संख्या 435।

उन सभी याचिकाओं का निर्णय इस न्यायालय द्वारा निर्णय द्वारा किया गया और आदेश दिनांक 21.4.2014 [गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य'](इसके बाद इसे "गोवा फाउंडेशन-I" के रूप में संदर्भित किया गया है)। इस न्यायालय ने, अन्य निष्कर्षों के साथ, यह माना कि सभी लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क पट्टे 22.11.2007 को समाप्त हो गए थे और कोई भी खनन उस तिथि के बाद खनन पट्टाधारकों द्वारा कार्रवाई की गई थी गैरकानूनी। यह भी माना गया कि सभी खनन पट्टाधारकों ने इसका आनंद लिया था पहले खनन पट्टे का नवीनीकरण माना जाता है और दूसरे नवीनीकरण के लिएके मद्देनजर और शर्तों में स्पष्ट आदेश पारित करना आवश्यक था खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) की धारा 8(3) अधिनियम, 1957. खनन पट्टे के दूसरे नवीनीकरण के लिए, यह आयोजित किया गया था राज्य सरकार को अपना दिमाग लगाना चाहिए और नवीनीकरण के कारणों को दर्ज करना चाहिए खनिज विकास और नवीनीकरण की आवश्यकता के हित में है खनन पट्टा और उसके अनुरूप भी होना चाहिए संवैधानिक प्रावधान. यह भी माना गया कि जो निर्णय लिया गया
न्यायिक समीक्षा के माध्यम से गोवा राज्य की जांच की जा सकती है। यह भी था माना गया कि गोवा सरकार के आदेश दिनांक 10.9.2012 को निलंबित कर दिया गया है खनन कार्य एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का आदेश दिनांक 14.9.2012, भारत सरकार) को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी का निर्देश दे रही है गोवा राज्य में खदानों को स्थगित रखा जाना उचित था और, जैसा ऐसे में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और वे तब तक जारी रहेंगे नए पट्टे देने और नए सिरे से पर्यावरण संरक्षण के निर्णय लिए गए हैं खनन परियोजनाओं के लिए मंजूरी. इसके बाद, इस न्यायालय में लंबित मामलों से बिल्कुल स्वतंत्र, बंबई में कई खनन पट्टाधारकों द्वारा रिट याचिकाएँ दायर की गईं उच्च न्यायालय या तो उनके आवेदनों पर विचार करने के लिए प्रार्थना कर रहा है खनन पट्टे का द्वितीय नवीनीकरण अथवा खनन पट्टा प्रदान करने हेतु दूसरा नवीनीकरण. उच्च न्यायालय ने उन रिट याचिकाओं पर सुनवाई की और इसके द्वारा दिनांक 13.8.2014 के निर्णय ने गोवा राज्य को पट्टा निष्पादित करने का निर्देश दिया उन पट्टाधारकों के पक्ष में विलेख, जिन्होंने पहले ही स्टांप शुल्क का भुगतान कर दिया था गोवा सरकार के आदेशों के अनुसार खनिज नीति 2013 एवं अन्य पट्टाधारकों के आवेदनों पर विचार करना गोवा में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार फाउंडेशन-I (सुप्रा)।

उच्च न्यायालय के इस आदेश को गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड और अन्य" (इसके बाद "गोवा फाउंडेशन-II" के रूप में संदर्भित) में चुनौती का विषय बनाया गया था। उक्त चुनौती का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7.2.2018 (गोवा फाउंडेशन-II) के फैसले और आदेश के माध्यम से किया गया। उक्त चुनौती का निर्णय करते समय गोवा फाउंडेशन- II (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों और निर्देशों का उल्लेख करना उचित होगा।

उक्त चुनौती पर निर्णय लेते समय गोवा फाउंडेशन-II (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों और निर्देशों का उल्लेख करना उचित होगा।

निष्कर्ष एवं निर्देश

हमारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचे हैं।
गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय के निर्णय, घोषणा और निर्देशों के परिणामस्वरूप [गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ, (2014) 6 एससीसी 590], गोवा राज्य अनुदान देने के लिए बाध्य था
खनन पट्टाधारकों को कानून के अनुसार नए खनन पट्टे दिए जाएंगे, न कि दोबारा नवीनीकरण किए जाएंगे।

प्रतिस्पर्धी बोली या नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से नए खनन पट्टे देने के लिए गोवा राज्य किसी भी संवैधानिक दायित्व के तहत नहीं था।
गोवा राज्य द्वारा दिए गए खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण अनावश्यक रूप से जल्दबाजी में किया गया था, सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखे बिना और उपलब्ध प्रासंगिक सामग्रियों की अनदेखी की गई थी और इसलिए यह हित में नहीं था। उच्च न्यायालय के इस आदेश को गोवा फाउंडेशन में चुनौती का विषय बनाया गया था। वी. सेसा स्टरलाइट लिमिटेड और अन्य2 (इसके बाद इसे "गोवा फाउंडेशन-II" कहा जाएगा)। उक्त चुनौती का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7.2.2018 (गोवा फाउंडेशन-II) के फैसले और आदेश के माध्यम से किया गया। खनिज विकास की उक्त चुनौतियों का निर्णय करते समय गोवा फाउंडेशन- II (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों और निर्देशों का उल्लेख करना उचित होगा। यह निर्णय केवल राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए लिया गया था
एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8(3) के दायरे से बाहर। गोवा राज्य द्वारा दिए गए खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण रद्द किया जा सकता है और रद्द किया जा सकता है।
पर्यावरण और वन मंत्रालय कानून और इस निर्णय के अनुसार खनन पट्टों के नए अनुदान के संबंध में नई पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए बाध्य था। गोवा फाउंडेशन में न्यायालय [गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ, (2014) 6 एससीसी 590] और न केवल 14-9-2012 के स्थगन आदेश को हटा दिया

लिथोफेरो बनाम गोवा राज्य में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय [लिथोफेरो बनाम गोवा राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन बॉम 997: (2015) 3 एआईआर बॉम आर 32] (और बैच) गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों से भिन्न निर्देश देना [गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ, (2014) 6 एससीसी 590] को खारिज कर दिया गया है।

जिन खनन पट्टाधारकों को गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय के निर्णय और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दूसरा नवीनीकरण दिया गया है [गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ, (2014) 6 एससीसी 590] उन्हें अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए समय दिया गया है और वे अपना काम जारी रख सकते हैं। 15-3-2018 तक खनन कार्य। हालाँकि, उन्हें 16-3-2018 से सभी खनन कार्यों को तब तक रोकने का निर्देश दिया गया है जब तक कि नए खनन पट्टे (नए नवीनीकरण या अन्य नवीनीकरण नहीं) दिए जाते हैं और नई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जाती है।
गोवा राज्य को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार नए खनन पट्टे देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
पर्यावरण और वन मंत्रालय को उन लोगों को नई पर्यावरण मंजूरी देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए जो नए खनन पट्टे प्राप्त करने में सफल हैं। यह अभ्यास गोवा राज्य और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
गोवा राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा कि गोवा खनन अनुदान के अनुसार गठित विशेष जांच दल और चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम
पट्टा नीति, 2014 जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे और गोवा राज्य को रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, जब तक कि उन्हें अस्वीकार करने के लिए बहुत अच्छे कारण न हों।

गोवा राज्य खनन पट्टाधारकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और विशेष जांच की रिपोर्ट सहित गोवा राज्य के पास उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के अनुसार उनसे बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। टीम और चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम।

यह गोवा फाउंडेशन-II (सुप्रा) में पैराग्राफ 154.6 में दिए गए निर्देश हैं जिन्होंने वर्तमान अपीलों को जन्म दिया है। पैराग्राफ 154.6 (सुप्रा) के निर्देश के अनुसार, इस न्यायालय ने खनन पट्टाधारकों को, जिन्हें दूसरा नवीनीकरण दिया गया था, अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए समय दिया और उन्हें 15.3.2018 तक अपने खनन कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी।

उक्त निर्देश के द्वारा उन्हें दिनांक 16.3.2018.13 से सभी खनन कार्य बंद करने का निर्देश दिया गया। ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी भी खनन पट्टाधारक ने 15.3.2018 के बाद खनन कार्य जारी रखा हो। विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या 15.3.2018 से पहले जिन खनिजों का खनन किया गया था, उन्हें खनन पट्टाधारकों द्वारा परिवहन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।
अनुच्छेद 154.6 (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्देशों को 15.3.2018 तक खनन कार्यों को प्रतिबंधित करने और 15.3.2018 तक पहले से खनन किए गए खनिजों के परिवहन को प्रतिबंधित न करने के रूप में मानते हुए, गोवा राज्य ने दिनांक 21.3.2018 के एक निर्णय द्वारा खनन पट्टाधारकों को अनुमति देने का निर्णय लिया। 15.3.2018 तक पहले से ही खनन किए गए खनिज पर रॉयल्टी का भुगतान करने और उसी का परिवहन करने के लिए।
उक्त निर्णय से व्यथित होकर, गोवा फाउंडेशन ने गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की रिट याचिका संख्या 3 दायर की। उक्त याचिका में, दिनांक 28.3.2018 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसके तहत सभी खनिजों के परिवहन को निलंबित कर दिया गया।
गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच विस्तृत चर्चा के बाद मामले की सुनवाई करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची: "... हमारी सम्मानजनक व्याख्या के अनुसार, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की व्यवस्था के लिए पांच सप्ताह का समय अनिवार्य किया, तो इसका मतलब पूरा होना था परिवहन का भी।"17. उपरोक्त का अवलोकन करते हुए, डिवीजन बेंच ने रॉयल्टी भुगतान वाले लौह अयस्क के परिवहन की अनुमति देने वाले गोवा राज्य के दिनांक 21.3.2018 के फैसले को रद्द कर दिया। डिवीजन बेंच ने यह भी माना कि राज्य सरकार को खनिज संसाधनों के संरक्षक के रूप में अपने स्वामित्व अधिकारों के संबंध में निर्णय लेना चाहिए, और प्रश्न में लौह अयस्क को कब्जे में लेने, बेचने और निपटान करने और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आय का उपयोग करने की अपनी शक्ति के संबंध में निर्णय लेना चाहिए।18. इससे व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न अपील/याचिकाएँ दायर की गई हैं। हम प्रत्येक मामले में आने वाली चुनौतियों और राहतों का संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं।

2018 की एसएलपी (सी) 12449 से उत्पन्न अपील

अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता का दावा है कि अपीलकर्ता के अयस्क को निर्यात के लिए भेजा जा रहा था जिसे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच दिनांक 28.3.2018 द्वारा पारित अंतरिम आदेश के मद्देनजर रोक दिया गया था। अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या में पारित सुरक्षा आदेश दिनांक 4.4.2018 है। 2018 का 8483-8484 (जिसका हम बाद में उल्लेख करेंगे) ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि यह उक्त एसएलपी में एक पक्ष नहीं था। इसलिए,

अपीलकर्ता अपील करता है कि उसे नौकाओं और जहाजों पर लौह अयस्क लोड करने की अनुमति दी जाए, जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है और जिसे 15.3.2018 या उससे पहले घाटों पर लाया जाता है ताकि इसे उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके।

2018 की एसएलपी (सी) संख्या 12328-12330 से उत्पन्न अपीलें

अपीलकर्ता का मामला पिछली अपील में अपीलकर्ता के समान है। 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 12449 से उत्पन्न अपील। अपीलकर्ता द्वारा खनन किया गया लौह अयस्क हाई सीथ्रू बार्ज पर एक जहाज में लोड किए जाने की प्रक्रिया में था। हालाँकि, 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 3 में पारित उच्च न्यायालय के दिनांक 28.3.2018 के अंतरिम आदेश के कारण, अपीलकर्ता को इसे रोकना पड़ा। अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.4.2018 (सुप्रा) के अंतर्गत भी नहीं आता है। इसलिए, अपीलकर्ता उसी निर्देश के लिए प्रार्थना करता है जैसा अपीलकर्ता ने 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 12449 से उत्पन्न अपील में मांगा था।

2018 की एसएलपी (सी) डी. संख्या 17815 से उत्पन्न अपीलें

यहां अपीलकर्ता लौह अयस्क के निर्यात का कारोबार करता है। अपीलकर्ता का दावा है कि उसने अयस्क के निर्यात के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अनुबंध में प्रवेश किया था और तदनुसार तैयारी की थी और उच्च समुद्र में खड़े जहाज पर ले जाने के लिए बजरों को लोड किया था। हालाँकि, दिनांक 28.3.2018 (सुप्रा) के अंतरिम आदेश के मद्देनजर यह उक्त कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सका। अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 4.4.2018 (सुप्रा) के आदेश के अंतर्गत भी नहीं आता है क्योंकि वह एसएलपी में एक पक्ष नहीं था। अपीलकर्ता भी उसी राहत का दावा करता है जो अपीलकर्ता ने 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 12449 से उत्पन्न अपील में मांगी थी।

2018 की एसएलपी (सी) संख्या 24831 और 24830 से उत्पन्न अपीलें

इन दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं का कहना है कि हालांकि उन्होंने 15.3.2018 से पहले लौह अयस्क निकाला है, यह या तो स्टॉकयार्ड में या पिटहेड पर पड़ा हुआ है और इसलिए, इसे परिवहन करने की अनुमति चाहते हैं।19। हमने मुख्य मामले में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी को सुना है। 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 12449 से उत्पन्न अपील], श्री गौरव बनर्जी, विद्वान वरिष्ठ परामर्शदाता और श्री यशराज सिंह देवड़ा, अन्य अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील। हमने श्री ए.एन.एस. को सुना है। नाडकर्णी, गोवा राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री विक्रमजीत बनर्जी, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री प्रशांत भूषण, गोवा फाउंडेशन के लिए उपस्थित विद्वान वकील।20। अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि गोवा फाउंडेशन- ॥ (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 154.6 का अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि इस न्यायालय ने 15.3.2018 तक खनन जारी रखने की अनुमति दी थी। उनका कहना है कि उक्त पैराग्राफ में एक विशिष्ट निषेध है कि 15.3.2018 के बाद कोई भी खनन गतिविधि नहीं की जा सकती है। इसलिए, उनका कहना है कि इस न्यायालय द्वारा जो किया गया वह 15.3.2018 के बाद विशेष रूप से प्रतिबंधित करने के लिए था। हालाँकि, आदेश में लौह अयस्क के परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, जो पहले से ही पांच

सप्ताह की अवधि में यानी 7.2.2018 से खनन किया गया था [गोवा फाउंडेशन- II (सुप्रा) में पारित इस न्यायालय के फैसले और आदेश की तारीख] से 15.3.3 तक। 2018. वह प्रस्तुत करेंगे, कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4.4.2018 (2018 के एसएलपी (सी) नंबर 8483-8484 और संबंधित मामलों में पारित) और 11.5.2018 [2018 के एसएलपी (सी) नंबर 12449 में पारित और जुड़े मामले] स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, कि पैराग्राफ 154.6 (सुप्रा) का इरादा 16.3.2018 से खनन पर रोक लगाना था, न कि अयस्क का परिवहन करना जो 15.3.2018 से पहले ही खनन किया गया था।

श्री रोहतगी, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 (इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 12(1)(जीजी) पर भरोसा करते हुए आगे प्रस्तुत करेंगे कि विधायी नीति लीज अवधि की समाप्ति या उससे पहले समाप्ति की तारीख से निकाले गए अयस्क खनिज को हटाने के लिए छह कैलेंडर महीने का समय देना है। इसलिए, उनका कहना है कि विधायी नीति को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि खनन पट्टाधारकों को उनके द्वारा पहले से ही खनन किए गए लौह अयस्क खनिज के परिवहन की अनुमति दी जाए। उनका मानना है कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि अनुच्छेद 154.6 (उपरोक्त) उस खनिज के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाता है जिसका पहले ही खनन किया जा चुका है 15.3.2018 तक, न केवल पूरी तरह से गलत है बल्कि आदेशों की अनदेखी है इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.4.2018 और 11.5.2018 को पारित किया गया।

गोवा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का यह भी कहना है कि राज्य को उस खनिज के परिवहन पर कोई आपत्ति नहीं है जिसका खनन 15.3.2018 से पहले किया गया है और जिस पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है।

गोवा फाउंडेशन के विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने अपीलों का पुरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि विभिन्न पट्टेदारों के खनन पट्टे 2007 में ही समाप्त हो चुके थे। वे अवैध रूप से अपना खनन कार्य जारी रख रहे थे। उनका कहना है कि गोवा फाउंडेशन-I (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले में भी यही पाया गया है। उन्होंने आगे कहा, कि गोवा फाउंडेशन- II (सुप्रा) में इस न्यायालय ने यह भी पाया कि बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हुआ था और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा ऐसे कड़े निर्देश जारी किए गए थे। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 154.6 (सुप्रा) में खनन और उसके परिवहन से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों "उनके मामलों का प्रबंधन करने के लिए" का सही अर्थ लगाया है। उनका कहना है कि पट्टेदारों ने 7.2.2018 से 15.3.2018 तक सात सप्ताह की अवधि में 2.2 मीट्रिक टन लौह अयस्क निकाला है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि इस लौह अयस्क के परिवहन की अनुमति दी जाती है, तो यह पट्टाधारक की अवैध गतिविधि के लिए प्रीमियम देने के समान होगा। इसलिए, वह दृढ़तापूर्वक कहता है कि सभी अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

पूरे विवाद की सराहना करने के लिए, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि गोवा फाउंडेशन-II (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 154.6 का क्या अर्थ है। उक्त पैराग्राफ में दिए गए निर्देश दो प्रकार के हैं। सबसे पहले, खनन पट्टाधारकों को अपने मामलों का प्रबंधन करने और 15.3.2018 तक अपना खनन कार्य जारी रखने का समय दिया गया है। दूसरा एक नकारात्मक निर्देश है। उन्हें 16.3.2018

से सभी खनन कार्यों को तब तक रोकने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि नए खनन पट्टे (नए नवीनीकरण या अन्य नवीनीकरण नहीं) दिए जाते हैं और नई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जाती है। स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को लागू करते हुए, दिशा 16.3.2018 से सभी खनन गतिविधियों को बंद कर देगी। हालाँकि, आदेश की तारीख यानी 7.2.2018 से 15.3.2018 तक, पट्टेदारों को खनन गतिविधियों को जारी रखने और अपने मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई थी।

जैसा कि देखा जा सकता है, गोवा सरकार द्वारा अपने दिनांक 21.3.2018 के निर्णय द्वारा 15.3.2018 से पहले खनन किए गए रॉयल्टी भुगतान वाले लौह अयस्क को परिवहन करने की अनुमति देने का निर्णय लेने के बाद, गोवाफाउंडेशन ने उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 28.3.2018 द्वारा उक्त निर्देश पर रोक लगा दी थी। उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 28.3.2018 इस प्रकार है:“11. इस बीच, प्रार्थना खंड (डी) के ब्रैकेटेड हिस्से के संदर्भ में एक अंतरिम राहत होगी, जो इस प्रकार पढ़ती है: "इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान तक, राज्य सरकार को सभी के परिवहन के तत्काल निलंबन का आदेश देने का निर्देश दिया जाएगा।" 88 पट्टाधारकों की खनन गतिविधियों से संबंधित खनिज..."

इससे व्यथित होकर, 2018 की एक विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8483-8484 इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई। मामला उसी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया जिसने गोवा फाउंडेशन-II (सुप्रा) में फैसला सुनाया था। दिनांक 4.4.2018 का एक आदेश इस न्यायालय की उसी पीठ द्वारा 2018 की उक्त विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8483-8484 में पारित किया गया। दिनांक 4.4.2018 का उक्त आदेश विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8483 में पारित किया गया। 2018 का -8484 इस प्रकार पढ़ता है: “याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लौह अयस्क जिसे गोवा में पोर्टेरिया में जहाजों पर लोड करने की मांग की गई है, रॉयल्टी का भुगतान किया गया है और इसे हटा दिया गया था और जेटीसन पर या 15 तारीख से पहले लाया गया था। मार्च, 2018। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि लौह अयस्क, जो रॉयल्टी का भुगतान किया गया है और जो 15 मार्च, 2018 को या उससे पहले घाटों पर पड़ा हुआ है, उसे बजरों और जहाजों पर लोड करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उन्हें गोवा राज्य यह सुनिश्चित और पुष्टि करेगा कि केवल वही लौह अयस्क लोड किया जाएगा जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया है और जो 15 मार्च, 2018 को या उससे पहले घाटों में पड़ा हुआ है। जहां तक अन्य मुद्दों का सवाल है, चूंकि मामला पहले से ही लंबित है। उच्च न्यायालय में, हम उनसे निपटने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और निर्णय लेने के लिए इसे उच्च न्यायालय पर छोड़ देते हैं।

विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है''
2018 की एसएलपी (सी) संख्या 12449 से उत्पन्न वर्तमान मुख्य अपील में उसी बेंच द्वारा दिनांक 11.5.2018 को एक समान आदेश पारित किया गया, जो इस प्रकार है: नोटिस जारी करें

श्री शिशिर देशपांडे और श्री प्रशांत भूषण, विद्वान वकील, नोटिस स्वीकार करते हैं। हमने पक्षों के विद्वान वकील को कुछ हद तक सुना है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लौह अयस्क जिसे बंदरगाह में जहाजों पर लोड करने की मांग की गई है गोवा में क्षेत्र रॉयल्टी का भुगतान

किया गया है और इसे 15 मार्च, 2018 को या उससे पहले हटा दिया गया था और घाटों पर लाया गया था। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि लौह अयस्क जो रॉयल्टी का भुगतान है और जो 15 मार्च, 2018 को या उससे पहले घाटों पर पड़ा हुआ है, 2018 को बजरों और जहाजों पर लोड करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उन्हें उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके। गोवा राज्य यह सुनिश्चित करेगा और पुष्टि करेगा कि केवल वही लौह अयस्क लोड किया जाएगा जो रॉयल्टी का भुगतान किया गया है और जो घाट पर या 15 तारीख से पहले पड़ा हुआ है। मार्च, 2018। जहां तक अन्य मुद्दों का सवाल है, चूंकि मामला पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है, हम उनसे निपटने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और इसे उच्च न्यायालय 3 पर निर्णय के लिए छोड़ देते हैं। गोवा की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा एक आरोप लगाया गया है आधार है कि 7 फरवरी, 2018 को पारित आदेश के बाद 15 मार्च, 2018 तक बड़े पैमाने पर खनन हुआ। हम 7 फरवरी, 2018 से 15 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान हुए खनन के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं घाटों पर पहुंच चुके लौह अयस्क को छोड़कर अगले आदेश तक लौह अयस्क की कोई आवाजाही नहीं होगी। मामले को जुलाई, 2018 के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करें।'

इस प्रकार यह देखा जा सकता है, कि डिवीजन बेंच, जिसने 4.4.2018 और 11.5.2018 के बाद के आदेशों द्वारा गोवा फाउंडेशन- ॥ (सुप्रा) में फैसला सुनाया था, ने उस लौह अयस्क को अनुमति दी है जो रॉयल्टी का भुगतान किया गया था और जो घाट पर या उससे पहले पड़ा हुआ था। 15.3.2018 को बजरों और जहाजों पर लादा जाएगा ताकि इसे उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके।

उक्त नियम 12 के नियम 12(1)(जीजी) का संदर्भ लेना भी प्रासंगिक होगा। खनन पट्टे के नियम और शर्तें.- (1) प्रत्येक खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: (ए).....(जीजी) पट्टेदार, अधिनियम के तहत देय किराए, दरों और रॉयल्टी का भुगतान करने के बाद कर सकता है। और उसके तहत या लीज डीड के तहत बनाए गए नियम, उसके बाद छह कैलेंडर महीनों के भीतर लीज अवधि की समाप्ति या शीघ्र समाप्ति पर (जब तक कि लीज पट्टेदार के डिफ़ॉल्ट के लिए समाप्त नहीं हो जाती है, और उस मामले में किसी भी समय तीन कैलेंडर महीनों से कम नहीं और न ही इससे अधिक) ऐसी समाप्ति के छह कैलेंडर महीने बाद) पट्टे की अवधि के दौरान खोदे गए सभी या किसी भी अयस्क खनिज, इंजन, मशीनरी, संयंत्र, भवन संरचनाओं, ट्रामवे, रेलवे और अन्य कार्यों, निर्माण और सुविधाओं को अपने लाभ के लिए हटा दें और हटा दें। पट्टेदार द्वारा पट्टे की भूमि पर या उस पर स्थापित या रखा गया है और जिसे पट्टेदार राज्य सरकार को सौंपने के लिए बाध्य नहीं है या जिसे राज्य सरकार खरीदना नहीं चाहती है।

उक्त नियमों के नियम 12(1) के खंड (जीजी) के अवलोकन से पता चलता है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने या उससे पहले समाप्त होने पर, पट्टेदारों को अपने स्वयं के लाभ के लिए उत्खनन किए गए किसी भी अयस्क खनिज को हटाने के लिए छह महीने की अवधि दी जाती है। पट्टे की अवधि के दौरान, इंजन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचनाएं, ट्रामवे, रेलवे और अन्य कार्य, निर्माण और सुविधाएं जो पट्टेदार द्वारा पट्टे की भूमि पर या उस पर बनाई, स्थापित या रखी गई हों। पट्टेदार की डिफ़ॉल्ट के कारण पट्टा समाप्त होने की स्थिति में एक अपवाद रखा गया है, जिसमें दी जाने वाली अवधि ऐसी समाप्ति के बाद तीन महीने

से कम नहीं और छह कैलेंडर महीने से अधिक नहीं है। हालाँकि, यह पट्टेदार को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत देय किराए, दरों और रॉयल्टी का भुगतान करने पर निर्भर है। मामले पर समग्र दृष्टिकोण रखते हुए यानी गोवा फाउंडेशन- ॥ (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 154.6; दिनांक 4.4.2018 और 11.5.2018 के आदेश उसी बेंच द्वारा पारित किए गए, जिसने गोवा फाउंडेशन- ॥ (सुप्रा) में फैसला सुनाया था, जिसमें खनिजों/लौह अयस्क के परिवहन की अनुमति दी गई थी, जो रॉयल्टी का भुगतान किया गया था और जो 15.3.2018 को या उससे पहले घाटों पर पड़ा था। ; और पट्टेदारों के लाभ के लिए खनिज को हटाने के लिए छह महीने की अवधि देने वाली विधायी नीति, हम पाते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है।

यदि गोवा फाउंडेशन- ॥ (सुप्रा) में यह न्यायालय 16.3.2018 से खनन के साथ-साथ खनिजों/लौह अयस्क के परिवहन पर रोक लगाने का इरादा रखता है, तो उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोकता है। हालाँकि, इस्तेमाल किए गए शब्द यह थे कि पट्टेदारों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति है और उन्हें 15.3.2018 तक खनन जारी रखने की अनुमति है। उक्त आदेश में दिनांक 15.3.2018 के बाद एकमात्र निषेध खनन कार्य करने पर है। इतना ही नहीं, बल्कि उसी बेंच ने, जिसने गोवा फाउंडेशन-॥ (सुप्रा) पर निर्णय दिया था, ने स्वयं दो मौकों पर खनिज को घाटों से ले जाने की अनुमति दी है। हमें नहीं लगता कि घाट पर या स्टॉकयार्ड या पिथेड पर मौजूद लौह अयस्क के बीच अंतर करने का कोई औचित्य है, यदि उसका खनन निषेध की तारीख यानी 15.3.2018 से पहले किया गया हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयस्क का स्वामित्व उस पक्ष का है जिसने अयस्क उठाया है। जिस अयस्क के परिवहन की अनुमति रॉयल्टी के भुगतान की शर्त पर दी गई है। हमें कोई कारण नहीं दिखता कि मालिकों को अपने स्वयं के अयस्क के परिवहन की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

यहां उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के विशिष्ट रुख का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कर रहा है कि केवल उसी खनिज के परिवहन की अनुमति दी जाए जिसका खनन 15.3.2018 से पहले किया गया हो। इसलिए, हम सभी अपीलों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। तदनुसार आदेश दें. हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 4.5.2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं और गोवा राज्य के दिनांक 21.3.2018 के निर्णय को बरकरार रखते हैं, जो 15.3.2018 से पहले खनन किए गए खनिज/लौह अयस्क के परिवहन की अनुमति देता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि खनिज का परिवहन केवल उन्हीं खनिजों के संबंध में होगा जिन पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया है। अपीलकर्ताओं/खनन पट्टाधारकों को राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पारगमन परमिट के आधार पर घाटों/स्टॉकयार्ड या पिथेड से रॉयल्टी भुगतान वाले अयस्क/खनिज के परिवहन की अनुमति दी जाएगी। खंड (जीजी) में निहित विधायी नीति को ध्यान में रखते हुए उक्त नियमों के नियम 12(1) के अनुसार, हम निर्देश देते हैं कि ऐसे सभी परिवहन आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरे किए जाएंगे।

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि गोवा फाउंडेशन- ॥ (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 154 में निहित अन्य सभी निर्देशों का गोवा राज्य द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। हस्तक्षेप के लिए आवेदन सहित सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। एसएलपी (सी) संख्या 22035/201939। डी-टैग किया गया। उचित समय पर उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है।

कल्पना के.त्रिपाठी

अपील की अनुमति.

KAMLESH KUMAR SHUKLA

---

i (2014) 6 SCC 590

ii (2018) 4 SCC 218